

निर्णय बईजलास सिद्धार्थ सिहाग आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 19/अपील/19

अशोक पुत्र मांगीलाल उम्र 28 वर्ष जाति बंजारा नि0 घटोद का खेड़ा तहसील पचपहाड़(अपीलान्त)
बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार पचपहाड़ (रेस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 22.11.2019 न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ मि0न0 1044/19

उपस्थित:- श्री **अशोक** अभिभाषक अपीलान्त
पेरोकार सरकार

---: निर्णय :-

दिनांक: 23.12.2019

यह अपील अपीलान्त द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार पचपहाड़ के आदेश दिनांक 22.11.2019 जो मिसल न0 1044/19 पर दिया गया है जिसमें अपीलान्त को ग्राम घटोद की आराजी ख0न0 86/1006 रकबा 2.03 बीघा किस्म चरागाह भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 237/-रु0 शास्ती तथा 30 दिवस के सिविल कारावास की सजा से सजायाब किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्त ने अपने अपील मेंमें में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून व पत्रावली संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि फाईल पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण की वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का के बयान लेखबद्ध किये लेकिन पटवारी से जिरह का अवसर नहीं दिया गया। अपीलार्थी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। अपीलान्त द्वारा उक्त आराजी पर से कब्जा छोड़ दिया है तथा पेनल्टी की राशि भी जमा करवादी गई है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्त ने दौराने बहस अपील मेंमें की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्त ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पेरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्त द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में स्पष्ट अंकन किया गया है कि अपीलान्त द्वारा पूर्व में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, इस प्रकार अपीलार्थी का पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर ही तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा अपीलार्थीन आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार पचपहाड़ द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना व अशोक द्वारा आराजी पर से कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्त को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का शपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
झालावाड़